राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 5(26)ग्रावि / नरेगा / समीक्षा / 14–15 जयपुर, दिनांक : 13 MAY 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजना के कियान्वयन के संबन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि राज्य के अधिकांश जिलों में योजना की प्रगति पिछले वर्षों की तुलना में अत्यन्त कम रही है। राज्य सरकार द्वारा माह जनवरी, फरवरी के दौरान सघन मॉनिटरिंग किये जाने पर योजना की प्रगति में कुछ सुधार भी हुआ है। राज्य सरकार द्वारा यह स्पष्ट रूप से महसूस किया गया है कि सघन मॉनिटरिंग किये जाने से योजना की प्रगति में अपेक्षित रूप से सुधार किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 का एक माह व्यतीत हो चुका है एवं माह मई, जून, जुलाई में रोजगार की मांग अधिकतम रहती है। अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान योजना की प्रगति में अपेक्षित सुधार हेतु कृपया निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :–

- महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के प्रावधानानुसार एवं विभाग द्वारा जारी निर्देशों के कम में प्रत्येक गुरूवार को रोजगार दिवस का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत में आवश्यक रूप से किया जावे तथा इन रोजगार दिवस के आयोजन के दौरान फार्म न. 6 की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। शिविर में उपस्थित सभी लोगों को योजना की जानकारी, भुगतान के संबन्ध में जानकारी उपलब्ध करायी जावे तथा उनकी समस्या की सुनवाई की जाकर उनका समाधान यथा संभव मौके पर ही किये जाने का प्रयास किया जावे। रोजगार की मांग सादा कागज पर भी स्वीकार की जा सकती है, इस बाबत भी सभी को अवगत कराया जावे एवं इस प्रकार की मांग स्वीकार भी की जावे। साथ ही दिनांकित प्राप्ति रसीद आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जावे। इन रोजगार शिविरों की सघन समीक्षा पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर की जावे।

- समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायतों पर प्राप्त रोजगार की मांग की सूचना संकलित की जावे एवं **जिले की समस्त ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें रोजगार की मांग शून्य/अत्यन्त कम रही है, चिन्हित की जाकर** इन ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम अधिकारी स्वयं एवं पंचायत समिति के अन्य कार्मिकों विशेष रूप से सहायक कार्यक्रम अधिकारी (यदि पदस्थापित है), सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता / तकनीकी सहायक आदि के द्वारा रोजगार दिवस के दौरान एवं अन्य दिवस में रोजगार की मांग नही होने / कम होने के कारणों का पता लगाया जावे एवं यह सुनिश्चित किया जावे कि इन पंचायतों में रोजगार चाहने वाले सभी परिवारों को रोजगार आवश्यक रूप से उपलब्ध हो सके।

- यह सुनिश्चित किया जावे कि रोजगार चाहने वाले सभी परिवारों से रोजगार की मांग आवश्यक रूप से दर्ज हो एवं उन्हें नियत समय में रोजगार उपलब्ध कराया जावे। रोजगार हेतु श्रमिकों का नियोजन प्राथमिकता से ऐसे कार्यो पर किया जावे जिनके

पूर्ण होने की संभावना अधिक है ताकि कार्य पूर्णता दर भी बढायी जा सके। लाईन विभागों की भागीदारी भी बढाये जाने का प्रयास किया जावे।

- योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्यो को प्राथमिकता दी जावे।
- अधिक से अधिक कार्यो को मौके पर जाकर देखा जावे।
- योजनान्तर्गत सामग्री मद में व्यय कुल व्यय का 40 प्रतिशत ही अनुमत है एवं इसका संधारण ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाना अनिवार्य है। कार्य हेतु मस्टररोल जारी करते समय कार्यक्रम अधिकारी द्वारा संबन्धित ग्राम पंचायत में सामग्री मद में व्यय की स्थिति की समीक्षा की जावे एवं सामग्री मद में निर्धारित अनुपात संधारित किये जाने को सुनिश्चित करते हुए ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें सामग्री मद में व्यय निर्धारित अनुपात से अधिक हो गया हो या जिनमें अधिक होने की संभावना होने लगी हो, में श्रम प्रधान कार्यो हेतु मस्टररोल जारी की जावे।
- योजना के कियान्वयन के संबन्ध में मुख्य रूप से रोजगार की मांग के विरूद्व रोजगार की उपलब्धता, नियत समय पर भुगतान, पिछले वर्षों के विरूद्व चालू वर्ष के दौरान मानव दिवस सृजन की समीक्षा ग्राम पंचायतवार पंचायत समिति स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा तथा पंचायत समितिवार जिला स्तर पर माह में कम से कम दो बार आवश्यक रूप से की जावे। समय पर भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु इसी बैठक में पोस्ट ऑफिस/सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी/अन्य अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जावे। लाईन विभाग के प्रतिनिधियों को भी समीक्षा बैठक में आमन्त्रित किया जावे।
- एम.आई.एस. पर समयबद्व एन्ट्री सुनिश्चित की जावे।
- पंचायत समिति स्तर एवं जिला स्तर पर आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण भी आवश्यक रूप से जारी किया जावे तथा पंचायत समिति स्तर की बैठक के कार्यवाही विवरण की समीक्षा जिला स्तर पर भी की जावे। जिला स्तर पर आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण राज्य मुख्यालय पर आवश्यक रूप से प्रेषित किया जावे।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करावे।

भवदीय

13/5/14

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/जोधपुर/बाडमेर।
3. रक्षित पत्रावली।

13/5/14
अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस